

30.05.25

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित।
वकील उभयपक्ष को हुना गया। बध्न पर मनन कए
एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर वादी एवं
प्रतिवादीगण सं. 1, 2, 4, 11 द्वारा प्रस्तुत यजीनामा के
आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य होने
के कारण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय
पृथक से लिखा जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली
बाद तुरंत तहसील होकर दायित्व दफतर है।

निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में
हुना गया।

Rw/
30-05-25
(किरण पाल)
R.A.S.